हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 113

मंगलवार, 25 अगस्त, 2026/03 भाद्रपद, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या: 2267 (स्थगित) के उत्तर पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4038 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्या: 4415 पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

एक ही तारांकित प्रश्न {सं0 2267 (स्थगित)} पर बारम्बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का आग्रह करने पर माननीय अध्यक्ष ने इस प्रकार व्यवस्था दी:-

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Nothing is going on record. This, I have not permitted. यह इश्यू नियम-130 के अंतर्गत भी चर्चा हेतु लगा हुआ है। इसका नियम-130 के अंतर्गत जवाब आ जाएगा। यह विषय महत्वपूर्ण है इसीलिए नियम-130 में लिस्टिड है। अगर आप सीट पर नहीं बैठेंगे तो यह आपकी इच्छा है परंतु मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। You have raised a lot of queries that stand replied by the Hon'ble Chief Minister. Still you are insisting in the Question Hour whereas more than half an hour that has been exhausted on this Question. There are other questions from the Hon'ble Members also. They have also right to ask the questions. You are trying to dictate the Chair time and again. This is not proper way and I will not allow. All the time, I will not have your dictation. Now, this we will not permit. When there is a discussion proposed under Rule-130 and in any case if you are not satisfied, there are other rules also. I am not permitting you. This is bad. You have exhausted half an hour on the one question and time and again you are insisting and directing the Chair. This is not proper way. I

don't like this kind of behaviour. Mr. Vinod Kumar I am likely to take a very strong action against you. Mr. Vinod Kumar, I am likely to name you now. You all sit down please. There is a discussion under Rule-130. You will not be dictating me. These rules will be important. I will not have your dictation. I am likely to name three-four Hon'ble Members. Please take your seats. This will not go record. I am not permitting it because already we have taken more than 25 minutes in discussing one question. There are other question of the Hon'ble Members also which have to be part of the proceedings. The protest is uncalled for, undesired and will not be the part of the record."

तारांकित प्रश्न संख्या: 4416 पर माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा तथा सम्बन्धित मंत्री ने उत्तर दिया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4417 पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

(11.38 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

तारांकित प्रश्न संख्या : 4418, 4420, 4422 व 4424 पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/सम्बन्धित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4419, 4421, 4423 व 4425 पर माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4426 से 4455 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(दोपहर 12.00 बजे विपक्ष के अधिकतर माननीय सदस्य सदन में पुन: वापिस आए।)

(2) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1662 (स्थगित) और अतारांकित प्रश्न संख्या : 1732 से 1743 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था</u>

"मेरे पास प्रतिपक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों से मांग आई है कि दिनांक 21 अगस्त, 2026 की कार्यवाही की वीडियो क्लिप उपलब्ध करवाई जाए। मैं इनकी मांग को एग्ज़ामिन कर रहा था और मैंने इस मांग को मंजूर कर लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 21 अगस्त, 2026 की कार्यवाही की वीडियो क्लिप्स की जो भी माननीय सदस्य मांग करेगा वह उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी।"

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने प्रश्न काल के दौरान विपक्ष द्वारा किए गए व्यवहार को निन्दनीय बताते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही से भागना चाहता है और इसे चलाना

नहीं चाहता है। इससे दर्शक दीर्घा में बैठे बच्चों व अन्य लोगों में गलत संदेश जा रहा है जबकि सत्तापक्ष चाहता है कि यह मान्य सदन सुचारु रूप से चले।

इस पर **माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** ने कहा कि आजकल मा0 संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। वे इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था से संबंधित बात जरूर कहना चाहते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर स्पेसिफिक मिले, संक्षिप्त मिले और जिस रिलेवेंट पोर्शन को पूछा गया है, उस पर रिलेवेंट जवाब आ जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सत्ता पक्ष को भी निर्देश दिया जाए कि भाषण के बजाय सटीक उत्तर दिया जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने भी विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान किए गए व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें संयमित व्यवहार करने की सलाह दी।

माननीय राजस्व मंत्री ने भी विपक्ष द्वारा किए गए व्यवहार को अनुचित ठहराते हुए नियम-57 का हवाला देकर कहा कि यह मान्य सदन माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशोंनुसार चलता है और उसी के अनुरूप ही यहां प्रश्न पूछे जाते हैं।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"I am here to watch the everybody's interest. All Hon'ble MLAs' interests is to be watched by me as a custodian of this House. That is my concern only. एक प्रश्न पर आधा घंटा चर्चा हुई। Mr. Rakesh Jamwal ji, you have no faith on me. Again, when the Speaker is speaking, everybody is supposed to listen. Still you are speaking in between, that is a bad habit. You must correct yourself. We have been a Member of this House for many years. I have been the Members of this House from 1985 onwards and many times remained in Opposition and Ruling side. But I am noticing for the first time this. Everybody starts speaking. If somebody is speaking, the other one will just stand and try to gag his mouth. Can you do that? Whatever issue you have, I will be giving you time to explain yourself. In any case, if I find there is any reason for that. If there is no reason, certainly I have a right and powers with me not to allow. इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब मुझे लगेगा तब मैं समय दूंगा। मुझे लगा कि प्रश्न की चर्चा में आधा घंटा हो गया है और सभी बातें जवाब के रूप में आ गई हैं तथा अभी नियम-130 में फिर से यही विषय आएगा तो ये सभी मुद्दे वहां भी उठाए जा सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा स्पष्ट प्रश्न पूछने के बाद और माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल द्वारा सारी बातें कहने के बाद मुख्य मंत्री जी ने उनका जवाब दे दिया है। अब फंक्शनल पोस्ट्स इत्यादि पर आप नियम-130 में चर्चा कर सकते हैं। हमारे समय में अध्यक्ष महोदय एक सप्लीमेंटरी के बाद दूसरे सप्लीमेंटरी प्रश्न की अनुमति नहीं देते थे। फिर हम नियम-61 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा में अपना विषय रखते थे। You should resort to that method. अब हमने एक ही प्रश्न नहीं लेना है बल्कि एक घंटे में 68 माननीय विधायक हैं and the Government is liable for every MLA, it is not for the Opposition only. So, every MLA has a right to ask the question, that was my concern only."

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने पिछले सत्र में माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया द्वारा गगल एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण व खरीद में हुई अनियमितताओं के संदर्भ में उठाए गए विषय पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विस्तारपूर्वक वक्तव्य दिया और कहा कि उनकी सरकार गरीब की जमीन की रक्षा करेगी, सरकारी धन की भी रक्षा करेगी, हिमाचल के हितों की भी रक्षा करेगी तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो।

शून्य काल

माननीय सदस्य श्री डीठाकुर 0एस0 ने बनीखेत कॉलेज के साथ लगते भलई कॉलेज का मुद्दा मान्य सदन में उठाया और कहा कि यह कॉलेज बीच में ही बंद कर दिया गया था। उसके पश्चात् शिक्षा मंत्री जी ने उस कॉलेज को दोबारा नोटिफाई किया। लेकिन तब तक बच्चे दूसरे कॉलेज में चले गए थे। अब इन्होंने वहां पर कॉलेज तो रीनोटिफाई कर दिया। परंतु वहां पर न कोई असिस्टेंट प्रोफैसर है और न ही कोई दूसरा स्टाफ है। इससे डलहौजी निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस बारे मा0 शिक्षा मंत्री स्थिति स्पष्ट करें।

माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह फैसला मात्र इनके विधान सभा क्षेत्र के लिए नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए एक नीतिगत फैसला लिया गया था। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने बजट में अनाउंसमैंट भी की थी, उसी के अनुरूप जहां-जहां पर 75 से कम एनरोलमैंट थी उनको बंद किया गया था। उदाहरण के तौर पर अगर माननीय सदस्य के भलई कॉलेज की बात की जाए तो वहां पर मात्र 19 बच्चे थे। उसी दृष्टिकोण को लेकर सरकार आगे बढ़ी थी। लेकिन प्रदेश में जो कुल 10 कॉलेजिज डीनोटिफाई हुए थे उनमें से 9 कॉलेजिज फिर से नोटिफाई हो चुके हैं।

माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जोगिन्दर नगर में बन्द हुए आर संस्थान 0सी0एफ0सी0(रीजनल-कम-फैसिलिटेशन सेंटर) को डॉपरमार वाई0एस0 0 विश्वविद्यालय नौणी को स्थानांतरित किए जाने का मुद्दा सदन में उठाते हुए कहा कि यह केन्द्र स्थानीय ग्रामीणोंयुवाओं और किसानों को अपनी सुविधाओं से लाभान्वित कर रहा , था। इस केन्द्र के स्थानांतरित होने के कारण स्थानीयलोगों व किसानों को मिल रही सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार और आयुष मंत्रालय से इस विषय को उठाकर शीघ्र उचित निर्णय लेकर इस केन्द्र को पुनजोगिन्दरनगर में स्थापित : करे।

माननीय आयुष मंत्री ने बताया कि यह संस्थान केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हो रहा है। लेकिन अब इस केन्द्र को काफी समय से केन्द्र सरकार की ओर से सहायता राशि नहीं मिल रही है। दूसरा यह प्रोजैक्ट पर आधारित संस्थान है। जैसे ही प्रोजैक्ट समाप्त हो जाता है तो इसमें केन्द्र का कोई काम नहीं रहता है। प्रदेश सरकार द्वारा इसे बन्द नहीं किया गया है यह केन्द्र सरकार का निर्णय है।

माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार ने अपने क्षेत्र की नगर पंचायत निरमंड के सात वार्डों में अपनी मर्जी से पानी के बिल जल शक्ति विभाग द्वारा वितरित किए जाने का मुद्दा मान्य सदन में उठाते हुए कहा कि जल शक्ति विभाग पैरामीटर्ज़ का अनुपालन करके ही बिल वितरित करे।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने जो बात मान्य सदन के ध्यान में लाई है उसकी छानबीन की जाएगी तथा छानबीन के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा ।

2. कागज़ात सभा पटल पर:

(1) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का 55वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड का 48वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री** ने बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला स्थित दाड़ी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2026-27)** ने लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **45वां मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) पर बने समिति के **111वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **122वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **120वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **ग्रामीण विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

(3) समिति का **162वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **95वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **बहुउद्देशीय परियोजनाए एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27) ने लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **35वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 36वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) पर बने **55वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2026-27) ने जन प्रशासन समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

(4) श्री राम कुमार, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2026-27) ने ग्रामीण नियोजन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **22वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का **23वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 14- मत्स्य विभाग** की वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर ने "प्रदेश के बागवानों/किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे फफूंदनाशकों (Fungicides) एवं कीटनाशकों (Insecticides) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने बारे" सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(1.03 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

(2) **माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल** ने **"गगल में भूमि अधिग्रहण/विस्थापन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन बारे"** सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय उप मुख्य मंत्री (मा0 मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत) ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार काजल ने स्पष्टीकरण मांगा ।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

श्री केवल सिंह पठानिया, मा0 उप मुख्य सचेतक ने भी उक्त विषय पर स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **दिनांक 24.08.2026 को माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी :-**

"प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों, आधुनिक उपकरणों, दवाओं की उपलब्धता, रिक्तियां तथा स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता प्रदान करने बारे" यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री रणधीर शर्मा, मा0 सदस्य

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य के विषय पर ही चर्चा होनी चाहिए। जबकि माननीय सदस्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जिनका कोई तथ्य व प्रमाण नहीं है।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"This is not a discussion on corruption. This is a discussion on the health facilities - how to improve the health facilities. If any part of your (Sh. Randhir Sharma) speech will be regarding the corruption, I will not allow that."

2. श्री जगत सिंह नेगी, मा0 राजस्व मंत्री
3. डॉ0 हंस राज, मा0 सदस्य
4. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, मा0 सदस्य

(3.31 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

5. श्री राकेश जम्वाल, मा0 सदस्य
6. श्री संजय अवस्थी, मा0 सदस्य
7. श्रीमती रीना कश्यप, मा0 सदस्य
8. श्री किशोरी लाल, मा0 सदस्य
9. श्री बलबीर सिंह वर्मा, मा0 सदस्य
10. श्री आर0एस0 बाली, मा0 सदस्य

(5.00 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक 6.00 अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

11. श्री विनोद कुमार, मा0 सदस्य

(5.18 बजे अपराह्न श्री आशीष बुटेल, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

माननीय मुख्य मंत्री ने रोबोटिक सर्जरी मशीन के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर स्पष्टीकरण दिया। साथ ही उन्होंने हिम केयर व सहारा योजना से लोगों को मिल रहे लाभों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

12. श्री चंद्र शेखर, मा0 सदस्य

5.59 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 26 अगस्त, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****